

ई-मेल

कार्यालय वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी

(वन भवन, एच0आई0जी0-33, अशोक बिहार कालोनी फेज-1 पहड़िया वाराणसी-221007)

E-Mail-cfvaranasi2@yahoo.com, cfva-up@nic.in दूरभाष-0542-2585444

पत्रांक-204/29-1, दिनांक: वाराणसी, जुलाई, 15 2021

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

विषय:-

पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा औड़िहार-जौनपुर रेलमार्ग रेलवे सेक्शन के अन्तर्गत रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण में जनपद गाजीपुर (किमी0 सं0-1.900 से 10.900 तक) में प्रभावित 6.50572 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं 09 वृक्षों/पौधों के पातन तथा जनपद जौनपुर में (किमी0 सं0-10.900 से 57.400 तक) में प्रभावित 43.41704 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं 1337 वृक्षों/पौधों के पातन अर्थात् कुल प्रभावित 49.92276 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1346 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-
महोदय

भारत सरकार के पत्रांक-8बी/यू0पी0/07/118/2021/एफ0सी0/52 दिनांक-22.04.2021।

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक-22.04.2021 द्वारा लगायी गयी बिन्दुवार आपत्ति का निस्तारण कर प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग जौनपुर ने अपने कार्यालय पत्रांक-160/14-16 दिनांक-13.07.2021 द्वारा प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। प्रभाग द्वारा प्रेषित बिन्दुवार आख्या/सूचना को संस्तुति सहित आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्नकर प्रेषित है: -

क्र0सं0	आपत्ति	निस्तारण
1	2	3
1	The NET suitable area for plantation as per the GIS-DSS analysis is 81.95 ha., which is less than the actual required CA land area.	उक्त के क्रम में ओबरा वन प्रभाग द्वारा संशोधित 100 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अवनत भूमि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (आई0टी0) उ0प्र0, लखनऊ से DSS Analysis कराते हुए पुनः उपलब्ध कराया गया, जिसका वृक्षारोपण सम्बन्धित उपयुक्तता प्रमाण पत्र, क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन 10 वर्षीय अनुसूक्षण, जियो रिफरेंस डिजिटल मैप, एस0ओ0आई टोपोशीट, के0एम0एल0 फाइल की सी0डी0, संलग्न कर दिया गया है।
2	As per Google Earth imageries dated 26.05.2019 in Obra, Jugali and Kon range on proposed CA area agriculture activity has been observed.	सी0ए0 हेतु प्रस्तावित क्षेत्र पर गूगल अर्थ इमेजिरीज दर्शित कृषि गतिविधियों के सम्बन्ध में ओबरा वन प्रभाग ने अपने पत्रांक 2953/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक 22.06.2021 (छायाप्रति संलग्न) के बिन्दु सं-2 के द्वारा अवगत कराया कि (ओबरा, जुगैल व कोन रेंज) पर स्थानीय लोगो द्वारा जो-कोड कर खेती किया जा रहा था, जिसे खाली करा लिया गया है।
3	Kml file of chainage needs to be submitted.	उक्त के क्रम में ओबरा वन प्रभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक के0एम0एल0 फाइल की सी0डी0, संलग्न करा दी गयी है।
4	No objection certificates of concerned departments (Irrigation, PWD/NHI etc.) need to be provided	उक्त के सम्बन्ध में पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
5	Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO needs to be submitted.	उक्त के सम्बन्ध में पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न कर दिया गया है।

6	This project is for duobling for railway track from Gazipur to Jaunpur section. is doubling also proposed further for the same track?	उक्त के सम्बन्ध में पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न कर दिया गया है।
7	DFL for CA has been propped in other division(Obra Forest Division). Is land for CA not available in concerned division?	उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद जौनपुर व गाजीपुर के अन्तर्गत अवनत वनभूमि उपलब्ध नहीं है। मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ महोदय के निर्देशानुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि ओवरा वन प्रभाग से प्राप्त की गयी है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार ।
(03 प्रतियाँ मूल में)

भवदीय

(प्रमोद कुमार गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी वन संरक्षक,
वाराणसी वृत्त वाराणसी

संख्या-204 (1)/ समदिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग जौनपुर तथा गाजीपुर।
- 2- चीफ इंजीनीयर/निर्माण/मुख्यालय, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।

(प्रमोद कुमार गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी वन संरक्षक,
वाराणसी वृत्त वाराणसी